राजस्थान सरकार

वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक प.1(4) वित्त/राजस्व/25 जयपुर, दिनांकः–12.06.2026

आज्ञा

राजस्थान लेखा सेवा नियम, 1954 के नियम 31 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति ने वर्ष 2025–26 के लिये राजस्थान लेखा सेवा की सुपर टाईम संवर्ग से हायर सुपर टाईम संवर्ग की पदोन्नति के लिए दिनांक 12.09.2025 को सम्पन्न बैठक में डॉ. बृजभूषण शर्मा के विरूद्ध कार्मिक विभाग द्वारा राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–16 के अन्तर्गत दिनांक 06.08.2025 ज्ञापन जारी किये जाने एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा पंजीबद्ध अपराध संख्या 200/2022 अन्तर्गत धारा–7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित)–2018 व 120बी भारतीय दण्ड संहिता में माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये जाने के कारण इनकी पदोन्नति के नतीजे का बंद लिफाफा रखा गया।

डॉ. बृजभूषण शर्मा की हायर सुपर टाईम संवर्ग की पदोन्नति की रिक्ति उपलब्ध होने की दिनांक 01.10.2025 को उनके विरूद्ध विभागीय जांच माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार स्थगित थी तथा आपराधिक प्रकरण में न्यायालय द्वारा संज्ञान ग्रहण नहीं लिया गया था।

इस क्रम में राजस्थान लेखा सेवा नियम 1954 के नियम 31 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर उक्त सेवा की सुपर टाईम संवर्ग में स्थायी रूप से नियुक्त डॉ. बृजभूषण शर्मा को हायर सुपर टाईम संवर्ग में रिक्ति की तिथि/पद उपलब्धता की दिनांक 01.10.2025 से वर्ष 2025–26 की रिक्तियों के विरूद्ध उक्त नियमों के नियम 28 ए के उप नियम (7) के तहत चयन के फलस्वरूप राजस्थान लेखा सेवा के हायर सुपर टाईम संवर्ग में विचाराधीन प्रकरण का भविष्य में स्थगन आदेश अपास्त होने अथवा विभागीय जांच, अधिकारी के विरूद्ध निर्णित होने की दशा में पदावनत किये जाने की शर्ताधीन स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता हैं।

डॉ. बृजभूषण शर्मा की पदोन्नति उपरान्त वरिष्ठता श्री कृष्ण गोपाल गुप्ता एवं श्री अतुल बल रत्नू के मध्य रहेगी।

डॉ. बृजभूषण शर्मा अपने वर्तमान पद को यथाआवश्यकता अस्थाई तौर पर क्रमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्य करते रहेंगे।

पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पवन जैमन)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया उप मुख्यमंत्री महोदया, वित्त, राजस्थान सरकार।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त, राजस्थान, जयपुर।

1281

F:\Transfer Order- 1 (Recovered).docx

5. उप सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व), राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–4/II) विभाग।
8. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग।
9. संबंधित विभागाध्यक्ष।
10. संबंधित अधिकारी।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव